[2015] 1 उम. नि. प. 223

इन्दर सिंह और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य और आदि

6 जनवरी, 2015

न्यायमूर्ति एम. वाई. इकबाल और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – अभियुक्तों का बड़ी संख्या में होना और उनका प्रभावशाली होना – दोनों पक्षों का सह-ग्रामवासी होना – अभियुक्तों के प्रभावशाली होने पर कुछ साक्षियों का अभियोजन पक्षकथन का समर्थन न करना स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में शेष प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य का महत्व कम नहीं हो सकता और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होने पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – अन्य साक्षी द्वारा साक्ष्य की संपुष्टि न किया जाना – पांच अभियुक्तों को इत्तिलाकर्ता द्वारा नामित किया गया किन्तु अन्य किसी भी साक्षी द्वारा उसके साक्ष्य का समर्थन न किए जाने पर इन सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया जाएगा, अतः उनकी दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं होगी ।

इस मामले में इत्तिलाकर्ता अमर सिंह और अभियुक्तों के बीच भूमि को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा था । तारीख 10 सितंबर, 2001 को अभियुक्तों ने इत्तिलाकर्ता पक्ष पर हमला कर दिया और परिणामस्वरूप इत्तिलाकर्ता पक्ष के 4 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में 29 अभियुक्तों को नामित किया गया । विशेष सेशन न्यायाधीश, झालावाड़, राजस्थान द्वारा सभी अभियुक्तों का विचारण किया गया जिनमें से 5 अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए 24 अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया । विचारण न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर इन 24 दोषसिद्ध व्यक्तियों में से 22 व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष पांच अपीलें

फाइल कीं और 2 दोषसिद्ध व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा एक अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया । दो अपीलार्थियों की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई थी । शेष 21 दोषसिद्ध अपीलार्थियों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष कुल मिलाकर आठ अपीलें फाइल कीं । उच्चतम न्यायालय ने इन अपीलों की एक साथ सुनवाई की और पांच अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया तथा शेष 16 अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम रखी । इस प्रकार सभी अपीलों का निपटारा किया गया । अपीलों का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – महत्वपूर्ण साक्षियों के संपूर्ण साक्ष्य, अन्य सामग्री और निचले न्यायालयों के निर्णय का परिशीलन करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि चूंकि अभियुक्तों की संख्या बहुत अधिक है और वे इतने शक्तिशाली और बलवान हैं कि उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में चार व्यक्तियों की हत्या कारित की है इसलिए यह समझना और मूल्यांकन करना मुश्किल नहीं है कि ग्राम के ऐसे स्वतंत्र साक्षियों ने, जिन्होंने घटना देखी थी, अभियोजन पक्ष का समर्थन करना नहीं चाहा । किन्तु इससे ऐसे छह प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य का महत्व कम नहीं हो जाता जिन्होंने ऐसी घटना का संगत वर्णन किया है जिसे घटना के तत्काल पश्चात् ही अभि. सा. 15 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में संक्षिप्त रूप से प्रकट किया गया है और अभि. सा. 15 वह साक्षी है जो इस घटना में गंभीर रूप से आहत हुआ है और इस साक्षी की मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता । यदि यह साक्षी इकलौता साक्षी होता, तब भी निचले न्यायालयों के लिए यह संभव था कि वे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट उसके पूर्ववर्ती कथन को दृष्टिगत करते हुए और न्यायालय में उसके परिसाक्ष्य की सत्यता परखने के पश्चात् अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर देते । ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि यदि अन्वेषक अधिकारी खुले मैदान अर्थात् घटनास्थल से छर्रे बरामद करने में असफल रहा है और यदि वह प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर सका है, तब भी अभियोजन पक्षकथन पर संदेह नहीं किया जा सकता । इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य जिसके अनुसार अग्न्यायुध से कारित क्षतियों के अतिरिक्त अनेक क्षतियां दर्शाई गई हैं, से एक दूसरे का समर्थन होता है । इस मुद्दे के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा की गई चर्चा और निकाले गए निष्कर्षों में गुणता है ।

यह आलोचना कि कुछ अभियुक्तों को क्षतियां पहुंची हैं जिसके बाबत अभियोजन पक्ष ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही खारिज की गई है क्योंकि ऐसा कोई भी प्रति-वृत्तांत नहीं है और न ही ऐसा कोई सुझाव दिया गया है जिससे यह प्रकट होता हो कि किसी भी अभियुक्त को एक ही घटना के दौरान और एक ही स्थल पर क्षतियां पहुंचीं हैं । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी भी व्यक्ति ने अभिकथित रूप से ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं कराया है जिससे यह प्रकट होता हो कि कहां और किन परिस्थितियों में अभियुक्तों को क्षतियां पहुंचीं । मामले के तथ्यों के आधार पर किसी भी प्रति-वृत्तांत और प्रतिरक्षा के अभिवाक् के अभाव में यह उपधारित करना अनुचित होगा कि अभियुक्तों को एक ही घटना के दौरान एक ही स्थल पर क्षतियां पहुंचीं हैं । यदि केवल ये दो संघटक सिद्ध किए जाते, तब प्रतिरक्षा पक्ष अभियोजन पक्ष से यह स्पष्टीकरण मांग सकता था कि तीन अभियुक्तों को कैसे क्षतियां पहुंचीं । उनकी क्षतियां न तो घातक हैं और न ही उनसे जीवन को कोई खतरा है और इस बात से भी अभियोजन पक्ष पर यह स्पष्ट करने का भार कम हो जाता है कि अभियुक्तों को क्षतियां कैसे पहुंचीं । उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, न्यायालय का यह मत है कि श्री किशन और लक्ष्मी सिंह वाले मामलों में दिए गए निर्णयों से अपीलार्थियों को कोई सहायता नहीं मिल सकती । लक्ष्मी सिंह वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 12 में न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि उस मामले की परिस्थितियों के आधार पर यह संदेह नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तों को उस समय क्षतियां कारित हुई थीं जब उन्होंने हमला किया था । वर्तमान मामले में, तथ्य भिन्न हैं, इसलिए इस आधार पर अभियोजन पक्षकथन अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है कि कुछ अभियुक्तों अर्थात् मान सिंह (अभियुक्त सं. 8), राम प्रसाद (अभियुक्त सं. 28) और बहादुर सिंह (अभियुक्त सं. 29) को अभिकथित रूप से क्षतियां पहुंचीं थीं । (पैरा 12 और 13)

चूंकि इस मामले में अभियुक्त व्यक्ति और छह तात्विक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सह-ग्रामवासी हैं, इसलिए यह प्रत्याशा की जाती है कि कम से कम तीन साक्षी अलग-अलग अभियुक्तों के नाम बताएं ताकि उनकी दोषसिद्धि कायम रखी जा सके । इस कसौटी का प्रयोग करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान सिंह (अभियुक्त सं. 9); पुत्र प्रभु लाल सुरेश कुमार पुत्र राम धाकड़ (अभियुक्त सं. 18); किन्हीं राम (अभियुक्त सं. 20); प्रहलाद सिंह पुत्र नाथू लाल (अभियुक्त सं. 27); और राम प्रसाद पुत्र भेरू लाल

(अभियुक्त सं. 28) संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किए जाने चाहिएं । इस संदेह का लाभ अभियुक्तों के पक्ष में जाता है क्योंकि भले ही इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 15) द्वारा विशेष रूप से नामित किया गया है कि ये वही व्यक्ति हैं जो विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और इन्होंने ही हमला किया था किन्तु इत्तिलाकर्ता के इस दावे का समर्थन एक से अधिक साक्षियों द्वारा नहीं किया गया है । दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त अभियुक्तों के विरुद्ध तीन साक्षियों का साक्ष्य स्पष्ट और तर्कसंगत नहीं है । जहां तक राम प्रसाद (अभियुक्त सं. 28) का संबंध है, निस्संदेह अभि. सा. 12 और अभि. सा. 24 द्वारा उसे नामित किया गया है किन्तु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह राम प्रसाद पुत्र भेरू लाल था या इसी नाम का अन्य कोई व्यक्ति था अर्थात् राम प्रसाद पुत्र जेठ राम (अभियुक्त सं. 25) । (पैरा 22)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] (2013) 5 एस. सी. सी. 753 :
खैरुद्दीन और अन्य बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ; 8, 16

[2012] (2012) 12 एस. सी. सी. 711 :
बूसी कोटेश्वर राव और अन्य बनाम
आंध्र प्रदेश राज्य ; 8, 15, 21

[2012] (2012) 3 एस. सी. सी. 221 :
राय फर्नेन्डिज बनाम **गोआ राज्य और अन्य** ; 18

[2011] (2011) 5 एस. सी. सी. 324 :
कुलदीप यादव और अन्य बनाम **बिहार राज्य** ; 8, 14

[2011] (2011) 9 एस. सी. सी. 257 :
रामचन्द्रन और अन्य बनाम **केरल राज्य** ; 18

[2009] (2009) 12 एस. सी. सी. 757 :
श्री किशन और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य** ; 7, 13

[1976] (1976) 4 एस. सी. सी. 394 :
लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम **बिहार राज्य** ; 7, 13

[1965] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202 :
मसलती आदि बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** । 9, 15, 21

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 493 और 495.

2004 की दांडिक अपील सं. 313, 339 और 385 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खंड न्यायपीठ के तारीख 29 मई, 2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री आर. बसंत (वरिष्ठ अधिवक्ता), (सुश्री) गौरी करुणा दास मोहंती, अली जेठमलानी, (सुश्री) सुमन कश्यप और सौरभ अजय गुप्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री (ग्रुप कप्तान) करन सिंह भाटी, अजय चौधरी, (सुश्री) मधुरिमा घोष, जयंत भट्ट (मिलिंद कुमार की ओर से) और राम नरेश यादव (सुश्री रूचि कोहली की ओर से)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह ने दिया ।

न्या. कीर्ति सिंह – ये सभी आठ अपीलें इत्तिलाकर्ता अमर सिंह (अभि. सा. 15) द्वारा पुलिस थाना सुनेल, जिला झालावाड़ (राजस्थान) में तारीख 10 सितंबर, 2001 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 188/2001 के अनुसार दर्ज किए गए आपराधिक मामले में नामित किए गए, 29 सह-ग्रामवासियों के विरुद्ध फाइल की गई हैं । सभी 29 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा आरोप पत्रित किया गया । विचारण के पश्चात् पांच अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया और शेष 24 अभियुक्तों को विभिन्न अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया । 22 दोषसिद्ध व्यक्तियों द्वारा फाइल की गई पांच अपीलों का निपटारा उच्च न्यायालय के तारीख 29 मई, 2008 के एक ही निर्णय द्वारा किया गया जो कि 7 दांडिक अपीलों में आक्षेपित है और उनमें से 6 अपीलें वर्ष 2009 में फाइल की गई थीं और वर्ष 2011 में दोषसिद्ध कालू लाल द्वारा 2011 की दांडिक अपील सं. 1892 फाइल की गई थी । दो दोषसिद्ध व्यक्ति अर्थात् राम सिंह और केसर सिंह (क्रमशः अभियुक्त सं. 24 और 4) ने उच्च न्यायालय में जेल अपील के माध्यम से विलिंबित रूप में आवेदन किया जिनका निपटारा तारीख 10 मार्च, 2011 के निर्णय द्वारा किया गया और यह निर्णय 2011 की दांडिक अपील सं. 1194 में आक्षेपित है । चूंकि ये सभी मामले दांडिक मामले से उद्भूत

हैं, इसलिए इनकी एक साथ सुनवाई की गई है और एक ही निर्णय द्वारा निपटारा किया जा रहा है ।

2. अभियोजन पक्षकथन पर विचार करने और अपीलार्थियों की मुख्य प्रतिरक्षा का परिशीलन करने के पूर्व यह उल्लेखनीय है कि 29 अभियुक्तों में से, जिनका विचारण किया गया था, अभियुक्त सं. 12, 15, 16, 22 और 23 (विचारण न्यायालय के निर्णय के अनुसार क्रमांक दिया गया है) को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 27 को दोषमुक्त कर दिया और उसके समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान अभियुक्त सं. 19 की मृत्यु हो गई । अभिलेख से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी मान सिंह (अभियुक्त सं. 8) की मृत्यु इस न्यायालय के समक्ष उसकी अपील के लंबित रहने के दौरान हो गई थी । इस प्रकार, वर्तमान रूप से 21 अपीलार्थी हैं जिन्हें दंड संहिता की धारा 302/149, 307/149, 147 और 148 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है । अभियुक्त सं. 1, 2 और 3 को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए भी दोषसिद्ध किया गया है । सभी को अन्य दंडादेशों के साथ आजीवन कारावास अधिनिर्णीत किया गया है और सभी दंडादेश साथ-साथ चलाए जाने हैं ।

3. अभियोजन पक्षकथन पर विचार करने से पूर्व यह उल्लेखनीय है कि घटना अभिकथित रूप से ग्राम धोड़ी में तारीख 10 सितंबर, 2001 को 6.45 बजे अपराह्न में पुलिस थाने से 18 किलोमीटर की दूरी पर घटित हुई थी । इत्तिलाकर्ता राम सिंह (अभि. सा. 15) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, उसका कथन उसी दिन 9.30 बजे अपराह्न में उसके चाचा चैन सिंह (अभि. सा. 17) की मौजूदगी में कैम्प धोड़ी के थानाध्यक्ष द्वारा अभिलिखित किया गया था और उसी दिन 10.30 बजे अपराह्न में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सम्यक् रूप से अपर मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को तारीख 11 सितंबर, 2001 को भेज दी गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में 29 अभियुक्तों को नामित किया गया था और सभी अभियुक्त ग्राम धोड़ी के निवासी हैं । चार मृतक जिनकी मृत्यु इसी घटना के दौरान उन पर किए गए हमले के कारण हुई थी तथा आहत इत्तिलाकर्ता और मुख्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् अभि. सा. 12, 14, 15, 17, 19 और 24 भी उसी ग्राम के निवासी हैं । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा जो घटनाक्रम तैयार किया गया है और हमें दर्शाया गया है, उससे यह प्रकट होता है कि कम से कम मान सिंह (अभियुक्त सं. 8) और उसके दो पुत्र

अभियुक्त सं. 5 और 29 भी उसी बड़े परिवार के सदस्य हैं जिस परिवार के चार मृतक और आहत इत्तिलाकर्ता अमर सिंह हैं । मान सिंह (अभियुक्त सं. 8) बापू सिंह (मृतक सं. 2) और मनोहर सिंह (मृतक सं. 4) का भाई है जबकि मृतक सं. 1 अर्थात् इन्दर सिंह और मृतक सं. 3 अर्थात् नागू सिंह, मृतक मनोहर सिंह के पुत्र हैं । इत्तिलाकर्ता अमर सिंह मृतक बापू सिंह का पुत्र है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और आरोप पत्र में नामित किए गए अभियुक्तों ने पुलिस या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी पहचान को कभी-भी चुनौती नहीं दी है । न ही इन साक्षियों की पहचान के मुद्दे पर उस समय कोई भी प्रतिपरीक्षा की गई है जब साक्षियों ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तों और अपीलार्थियों को नाम लेकर उनके साथ नातेदारी का उल्लेख करते हुए निर्दिष्ट किया है ।

4. अमर सिंह (अभि. सा. 15) के पर्चा-बयान के अनुसार वह तारीख 10 सितंबर, 2001 को 6.45 बजे अपराह्न में अपने घर पर था और उस समय उसने "पटवारी का खेत" नाम के एक खेत से अपने चचेरे भाई इन्दर सिंह (मृतक सं. 1) के चिल्लाने की आवाज सुनी । वह घर से बाहर आया और उसने अपने चाचा मान सिंह (अभियुक्त सं. 8) और 28 अन्य नामित अभियुक्तों को इन्दर सिंह का पीछा करते हुए देखा । वे तलवार, बन्दूक, देशी पिस्तौल, लाठी और गडांसी से लैस थे । उन्होंने एक साथ मिलकर इन्दर सिंह (मृतक सं. 1) की हत्या कर दी । इसके पश्चात् वे इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 15) की ओर दौड़े और उसके दाहिने हाथ की कलाई पर तलवार से वार किया । उसके चीखने पर, उसका पिता बापू सिंह (मृतक सं. 2) इत्तिलाकर्ता को बचाने के लिए दौड़ता हुआ आया । उसके चाचा मान सिंह ने अपनी बन्दूक से गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप बापू सिंह नीचे गिर गया और सभी की मौजूदगी में "खाल" ही में उसकी मृत्यु हो गई । उसके चाचा मनोहर सिंह (मृतक सं. 4) और उसका पुत्र नागू सिंह (मृतक सं. 3) भी उन्हें बचाने के लिए दौड़ते हुए आए किन्तु अभियुक्तों ने उन पर भी हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई । ग्राम के बहुत से व्यक्ति इस घटना को देख रहे थे । अभियुक्तों ने मृतक इन्दर सिंह के विरुद्ध पानी की मोटर की चोरी का मामला रजिस्ट्रीकृत कराया था और उसे जेल अभिरक्षा से हाल ही में छोड़ा गया था । अभियुक्तों ने यह कहा कि चूंकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इसलिए वे खुद इन्दर सिंह से निपटेंगे । इत्तिलाकर्ता पक्ष और अभियुक्त मान सिंह के बीच भूमि को लेकर विवाद चला आ रहा था और इसी कारणवश मान सिंह और उसके

साथियों ने हथियारों से लैस होकर चार व्यक्तियों की मृत्यु कारित की और हत्या करने के आशय से इत्तिलाकर्ता को भी क्षति पहुंचाई । इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि उसने, उसके चाचा चैन सिंह (अभि. सा. 17), उसकी माता (अभि. सा. 16) और उसकी पत्नी ने मकान में छुपकर अपनी जान बचाई ।

5. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से 24 साक्षियों की परीक्षा कराई गई और प्रदर्श पी-1 से पी-149 तक अनेक दस्तावेजों को चिह्नांकित किया गया । प्रतिरक्षा पक्ष ने भी चार साक्षियों की परीक्षा कराई और प्रदर्श डी-1 से डी-21 के रूप में दस्तावेजों को चिह्नांकित किया । जैसा कि पहले ही विचार किया गया है, विचारण के पश्चात् विद्वान् विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति झालावाड़, राजस्थान ने तारीख 13 फरवरी, 2004 के निर्णय के अनुसार, जो 2002 के सेशन विचारण मामला सं. 123 (13/2002) में पारित किया गया था, 29 में से 24 अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन अपराध सहित अनेक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और सभी अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास अधिनिर्णीत किया गया । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया । अपीलार्थियों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर न्यायपीठ के समक्ष फाइल की गई अपीलें खारिज कर दी गईं और अभियुक्तों की दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की गई ।

6. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री बसंत ने सबसे पहले सभी अपीलार्थियों की शनाख्त से संबंधित मुद्दा उठाया क्योंकि महत्वपूर्ण साक्षी अर्थात् अभि. सा. 12, 14, 15, 17, 19 और 24 में से किसी भी साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ऐसा कोई भी विशेष दावा नहीं किया है कि वे अभियुक्तों/अपीलार्थियों की शनाख्त कर सकते हैं । यह दलील दी गई है कि इस कमी के कारण अपीलार्थियों की मौजूदगी और उनका अपराध में भाग लेना सिद्ध नहीं होता है और वे दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं । हमें ऊपर उल्लिखित आधारभूत तथ्यों के आलोक में इस दलील में ऐसी कोई भी गुणता दिखाई नहीं देती है क्योंकि तथ्यों से यह प्रकट होता है कि सभी अभियुक्तों/अपीलार्थियों को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया गया है । अपीलार्थी सह-ग्रामवासी हैं और साक्षियों को पहले से जानते हैं और नाम आदि से उनकी शनाख्त किए जाने को अभियुक्तों द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी प्रक्रम पर चुनौती नहीं दी गई है ।

अपीलार्थियों की मौजूदगी और उनकी शनाख्त से यह तथ्य सामने आता है कि वे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रकट की गई घटना के पूर्वतम वृत्तांत में नामित किए गए थे और तत्पश्चात् कई साक्षियों द्वारा उन्हें विचारण के दौरान स्पष्ट अभिकथन के साथ नामित किया गया है कि वे घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने अभियुक्त के रूप में किसी न किसी प्रकार घटना में भाग लिया है । ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में अपीलार्थियों की ओर से शनाख्त के संबंध में उठाए गए मुद्दे में कोई सार नहीं है ।

7. अपीलार्थियों की ओर से तथ्यों के बहुत से अन्य मुद्दे भी अभियोजन पक्षकथन की आलोचना करते हुए उठाए गए हैं और हमें यह अभिनिर्धारित करने के लिए जोर दिया गया है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप साबित करने में असफल रहा है । मूल आलोचना इस प्रकार है कि अवलंब लिए गए 6 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं और उनमें से तीन अर्थात् अभि. सा. 12, 14 और 24 अवयस्क हैं जिनके नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रकट नहीं किए गए हैं और यह दर्शाया गया है कि इन साक्षियों ने घटना देखी है । यह भी दलील दी गई है कि घटना खुले मैदान में घटित हुई है और अभिकथित रूप से बहुत से ग्रामवासियों ने देखी है किन्तु ऐसे किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई है जिसका मृतकों के परिवार से नाता न हो और इसीलिए अभियोजन पक्षकथन खारिज किया जाना चाहिए । यह भी इंगित किया गया है कि अन्वेषक अधिकारी घटनास्थल से छर्रे बरामद नहीं कर सका और प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई है ताकि कुछ अभियुक्तों द्वारा प्रयोग किए गए अग्न्यायुध की संपुष्टि कराई जाती । हमारा ध्यान कुछ अभियुक्तों को पहुंची क्षतियों की ओर भी दिलाया गया है और अपीलार्थियों के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अभियुक्तों को पहुंची क्षतियों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण न दिए जाने पर अभियोजन पक्षकथन खारिज किया जाना चाहिए । इस प्रतिपादना के समर्थन में **श्री किशन और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] और **लक्ष्मी सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया गया है ।

8. विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय

---

[1] (2009) 12 एस. सी. सी. 757.

[2] (1976) 4 एस. सी. सी. 394.

के निर्णयों के विरुद्ध गंभीर शिकायत की है और यह अभिवाक् किया है कि दोनों न्यायालय, अभियुक्तों की अपराध में उस वैयक्तिक भूमिका का विश्लेषण करने में असफल रहे हैं जिसके आधार पर उन्हें दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302, 307 के अधीन आरोपों के साथ सम्बद्ध किया जा सके । इस दलील का सार यह है कि जब तक एक-एक अभियुक्त के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से अभिकथन पर विचार न कर लिया जाए तब तक यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं होगा कि वे वास्तव में विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य हैं । दंड संहिता की धारा 149 की परिधि और व्यापकता और संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल द्वारा इस न्यायालय के निम्न निर्णयों का अवलंब लिया गया है :–

(i) **कुलदीप यादव और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1],

(ii) **बूसी कोटेश्वर राव और अन्य** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[2],

(iii) **खैरुद्दीन और अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[3] **।**

9. अंत में, अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सभी अभियुक्त, साक्षियों के ही ग्राम के निवासी हैं और पहले से एक-दूसरे को जानते हैं, इसलिए सभी साक्षियों द्वारा नहीं अपितु कुछ ही साक्षियों द्वारा अपीलार्थियों का नाम बताया जाना एक ऐसा महत्वपूर्ण संघटक है जिसके अनुसार संदेह के आधार पर दोषमुक्ति प्रदान की जानी चाहिए । **मसलती आदि** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[4] वाले मामले में किए गए इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निस्संदेह समुचित मामलों में एक ही साक्षी का विश्वासप्रद साक्ष्य अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो सकता है किन्तु जब दांडिक न्यायालय किसी ऐसे अपराध के संबंध में कार्यवाही करता है जिसमें बड़ी संख्या में अपराधी भाग लेते हैं और आहतों की संख्या भी अधिक होती है, तब अभियोजन पक्ष का समर्थन करने वाले आम तौर पर दो या तीन साक्षियों के साक्ष्य को परखा जाता है ।

---

[1] (2011) 5 एस. सी. सी. 324.

[2] (2012) 12 एस. सी. सी. 711.

[3] (2013) 5 एस. सी. सी. 753.

[4] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202.

न्यायालय ने यह विचार करने के पश्चात् इस परीक्षण का अनुमोदन किया कि यह (परीक्षण) बलकृत प्रतीत होता है किन्तु समुचित मामलों में इसका प्रयोग अविवेकी या अयुक्तियुक्त नहीं माना जा सकता । वर्तमान मामले में ऐसा परीक्षण करने के लिए न्यायालय की सहायता करने हेतु प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा प्रयोग किए गए हथियार और अपराध में अभिकथित विशिष्ट भूमिका के संबंध में उनके विरुद्ध प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के बाबत विस्तृत टिप्पण और तालिकाएं भी बनाई गई हैं ।

10. इसके प्रतिकूल, इत्तिलाकर्ता और राज्य के विद्वान् काउंसेल ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया है और यह निवेदन किया है कि दोनों न्यायालयों ने मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य पर सम्यक् रूप से विचार किया है और मामले के तथ्यों के आधार पर अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि के समवर्ती निष्कर्ष में कोई भी हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब एक बड़ी संख्या में अभियुक्तों ने मृतक का पीछा किया था और अंधाधुंध हमला किया था जिसके परिणामस्वरूप खुले मैदान में चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और इत्तिलाकर्ता को गंभीर क्षतियां पहुंचीं, तब ऐसी स्थिति में साक्षियों से यह प्रत्याशा नहीं की जाती है कि वे यह देख पाते, याद कर पाते और अभिसाक्ष्य दे पाते कि पांच आहतों में किस-किस आहत को किस-किस अभियुक्त ने क्षति पहुंचाई । अभियोजन पक्ष की ओर से यह दलील दी गई है कि विचारण न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य और क्षतियों पर ठीक ही विचार किया है जिससे यह दर्शित होता है कि कुल मिलाकर तीन मृतकों को अग्न्यायुध से क्षतियां पहुंचीं जिनमें से एक मृतक नागू सिंह है जिसके शरीर से दो छर्रे बरामद किए गए जिनमें एक बाईं कलाई से और एक छर्रा अमाशय से निकाला गया ; दूसरा मृतक इन्दर सिंह है जिसके शरीर के पृष्ठ-तल से 12 छर्रे बरामद किए गए और तीसरा मृतक बापू सिंह है जिसके जबड़े पर बंदूक की गोली से क्षति कारित हुई है और इस क्षति से प्लास्टिक की एक गोल टोपी के साथ 66 छर्रे निकाले गए हैं । मस्तिष्क से भी छर्रे निकाले गए हैं ।

11. इत्तिलाकर्ता और राज्य के विद्वान् काउंसेलों ने यह दलील दी है

कि निःसंदेह घटनास्थल के आस-पास खड़े निर्दोष व्यक्तियों या साक्षियों को विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के रूप में अभियुक्तों की सूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए और न्यायालयों को ऐसे तथ्यों से सतर्क और सावधान रहना चाहिए जिनसे घटना के पूर्व और पश्चात् अभियुक्तों के आचरण के आधार पर उनका अपराध में अंतर्वलित होना दर्शित होता हो । अपराध में फंसाने वाला आचरण प्रत्येक मामले में अलग ही होगा और यह अन्य बातों के साथ-साथ अभियुक्त के आचरण की प्रकृति, स्पष्ट कृत्य और हथियार, यदि कोई है, रखने जैसे प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर ही सुनिश्चित किया जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए, अभियोजन पक्ष के अनुसार निचले न्यायालयों ने प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया है और यह भी देखा है कि अभियुक्तों से अनेक हथियारों की बरामदगी की गई है । अतः, उनकी दलील के अनुसार, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि में कोई भी हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

12. महत्वपूर्ण साक्षियों के संपूर्ण साक्ष्य, अन्य सामग्री और निचले न्यायालयों के निर्णय का परिशीलन करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि चूंकि अभियुक्तों की संख्या बहुत अधिक है और वे इतने शक्तिशाली और बलवान हैं कि उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में चार व्यक्तियों की हत्या कारित की है इसलिए यह समझना और मूल्यांकन करना मुश्किल नहीं है कि ग्राम के ऐसे स्वतंत्र साक्षियों ने, जिन्होंने घटना देखी थी, अभियोजन पक्ष का समर्थन करना नहीं चाहा । किन्तु इससे ऐसे छह प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य का महत्व कम नहीं हो जाता जिन्होंने ऐसी घटना का संगत वर्णन किया है जिसे घटना के तत्काल पश्चात् ही अभि. सा. 15 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में संक्षिप्त रूप से प्रकट किया गया है और अभि. सा. 15 वह साक्षी है जो इस घटना में गंभीर रूप से आहत हुआ है और इस साक्षी की मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता । यदि यह साक्षी इकलौता साक्षी होता, तब भी निचले न्यायालयों के लिए यह संभव था कि वे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट उसके पूर्ववर्ती कथन को दृष्टिगत करते हुए और न्यायालय में उसके परिसाक्ष्य की सत्यता परखने के पश्चात् अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर देते । ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में हमारा यह निष्कर्ष है कि यदि अन्वेषक अधिकारी खुले मैदान अर्थात् घटनास्थल से छर्रे बरामद करने में असफल

रहा है और यदि वह प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर सका है, तब भी अभियोजन पक्षकथन पर संदेह नहीं किया जा सकता । इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य जिसके अनुसार अग्न्यायुध से कारित क्षतियों के अतिरिक्त अनेक क्षतियां दर्शाई गईं हैं, से एक दूसरे का समर्थन होता है । इस मुद्दे के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा की गई चर्चा और निकाले गए निष्कर्षों में गुणता है ।

13. यह आलोचना कि कुछ अभियुक्तों को क्षतियां पहुंचीं हैं जिसके बाबत अभियोजन पक्ष ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही खारिज की गई है क्योंकि ऐसा कोई भी प्रति वृत्तांत नहीं है और न ही ऐसा कोई सुझाव दिया गया है जिससे यह प्रकट होता हो कि किसी भी अभियुक्त को एक ही घटना के दौरान और एक ही स्थल पर क्षतियां पहुंचीं हैं । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी भी व्यक्ति ने अभिकथित रूप से ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं कराया है जिससे यह प्रकट होता हो कि कहां और किन परिस्थितियों में अभियुक्तों को क्षतियां पहुंचीं । मामले के तथ्यों के आधार पर किसी भी प्रति वृत्तांत और प्रतिरक्षा के अभिवाक् के अभाव में यह उपधारित करना अनुचित होगा कि अभियुक्तों को एक ही घटना के दौरान एक ही स्थल पर क्षतियां पहुंचीं हैं । यदि केवल ये दो संघटक सिद्ध किए जाते, तब प्रतिरक्षा पक्ष अभियोजन पक्ष से यह स्पष्टीकरण मांग सकता था कि तीन अभियुक्तों को कैसे क्षतियां पहुंचीं । उनकी क्षतियां न तो घातक हैं और न ही उनसे जीवन को कोई खतरा है और इस बात से भी अभियोजन पक्ष पर यह स्पष्ट करने का भार कम हो जाता है कि अभियुक्तों को क्षतियां कैसे पहुंचीं । उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, हमारा यह मत है कि **श्री किशन** (उपरोक्त) और **लक्ष्मी सिंह** (उपरोक्त) वाले मामलों में दिए गए निर्णयों से अपीलार्थियों को कोई सहायता नहीं मिल सकती । **लक्ष्मी सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 12 में न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि उस मामले की परिस्थितियों के आधार पर यह संदेह नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तों को उस समय क्षतियां कारित हुईं थीं जब उन्होंने हमला किया था । वर्तमान मामले में, तथ्य भिन्न हैं, इसलिए इस आधार पर अभियोजन पक्षकथन अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है कि कुछ अभियुक्तों अर्थात् मान सिंह (अभियुक्त सं. 8), राम प्रसाद (अभियुक्त सं. 28) और

बहादुर सिंह (अभियुक्त सं. 29) को अभिकथित रूप से क्षतियां पहुंचीं थीं ।

14. अब विचार के लिए मुख्य मुद्दा यह है कि अपीलार्थियों को चार व्यक्तियों की हत्या करने और इत्तिलाकर्ता पर हत्या के आशय से हमला करने के लिए दोषसिद्ध करने हेतु क्या निचले न्यायालयों ने उनके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 149 का अवलंब ठीक लिया है । दंड संहिता की धारा 149 के लागू किए जाने के विधि के सिद्धांत को अपीलार्थियों के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल द्वारा उद्धृत किए गए निर्णयों सहित कई निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है । **कुलदीप यादव** (उपरोक्त) वाले मामले के पैरा 39 में निम्न शब्दों में विधि कथित की गई है :–

> "39. धारा 149 को अधिनियमित करने में विधान मण्डल का आशय विधिविरुद्ध जमाव के एक या अधिक सदस्यों द्वारा कारित किए गए प्रत्येक अपराध के लिए उसके प्रत्येक सदस्य को दंडित करना है । धारा 149 लागू करने के लिए यह दर्शित किया जाना चाहिए कि अपराध में फंसाने वाला कार्य विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया है और ऐसे कृत्य की जानकारी जमाव के अन्य सदस्यों को भी होनी चाहिए जिसका कारित किया जाना सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में हो । यदि जमाव के सदस्यों को यह जानकारी थी या वे उस बात से अवगत थे कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई विशेष अपराध कारित किया जाना संभावित है, तब वे दंड संहिता की धारा 149 के अधीन ऐसे कृत्य के लिए दायी होंगे ।"

15. **बूसी कोटेश्वर राव** (उपरोक्त) वाले मामले में तथ्यों से यह दर्शित हुआ कि अपराध में बड़ी संख्या में लोग आलिप्त थे, अतः **मसलती** (उपरोक्त) वाले मामले में व्यक्त किए गए मत का अनुमोदन करते समय इस न्यायालय ने निर्णय के पैरा 11 में चेतावनी दी है कि न्यायालयों को आगजनी और हत्या के ऐसे मामलों में सतर्कता से काम लेना चाहिए जिनमें अभियुक्तों की संख्या अधिक होती है और ऐसे मामलों में भी साक्षियों के परिसाक्ष्य पर विश्वास करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए जिन्होंने अभियुक्तों को विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किए बिना सामान्य साक्ष्य दिया है या अभियुक्तों की अपराध में विशेष भूमिका का उल्लेख नहीं किया है ।

16. अपीलार्थियों द्वारा **खैरुद्दीन** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय का जो अवलंब लिया गया है वह गलत है । उस मामले में, जैसाकि पैरा 12, 13 और 14 से प्रकट होता है, हमला करने का प्रत्यक्ष कार्य पांच अपीलार्थियों के मामले में साबित होता है जो अपराध में एक साथ थे और इसीलिए उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई जबकि कुछ अन्य अभियुक्त एक भिन्न समूह में शामिल थे और यह पाया गया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि वे घटनास्थल पर मौजूद थे या उन्होंने उस घटना में भाग लिया था । वर्तमान मामले में, साक्ष्य के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष भिन्न है ।

17. दंड संहिता की धारा 149 के संघटकों के अधीन विधिविरुद्ध जमाव होना अपेक्षित है जिसे दंड संहिता की धारा 141 के अधीन परिभाषित किया गया है कि यह 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमाव है, यदि उस जमाव को गठित करने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य दंड संहिता की धारा 141 में पूर्णतया अनुध्यात पांच उद्देश्यों में कोई भी है । तृतीय उद्देश्य है – "कोई रिष्टि कारित करना या अप्राधिकृत अतिचार या अन्य अपराध कारित करना" । धारा 141 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि एक जमाव जो विधिविरुद्ध नहीं था, गठित होने पर तत्पश्चात् विधिविरुद्ध हो सकता है । धारा 149 के अनुसार यदि विधिविरुद्ध जमाव का कोई भी सदस्य उस जमाव के सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई अपराध कारित करता है तब प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के कारित किए जाने के समय पर उस विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य था, कारित किए गए अपराध का दोषी होगा ।

18. चूंकि यह दृढ़तापूर्वक दलील दी गई है कि निचले न्यायालयों ने इस संबंध में अपने विवेक से काम नहीं लिया है कि क्या अपीलार्थी विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे या नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हम उस विषय से संबंधित विधि पर पुनः विचार करें । इस संबंध में विधि सुस्थापित है, जैसाकि **राय फर्नेन्डिज** बनाम **गोआ राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि सामान्य उद्देश्य की विद्यमानता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन

---

[1] (2012) 3 एस. सी. सी. 221.

परिस्थितियों पर विचार करे जिनमें घटना घटित हुई है, विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के आचरण तथा घटनास्थल पर अभियुक्तों द्वारा लाए गए और प्रयोग किए गए हथियारों पर भी विचार किया जाना चाहिए । यह भी सुस्थापित विधि है, जैसाकि **रामचन्द्रन और अन्य** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, कि सामान्य उद्देश्य क्षणभर में सृजित हो सकता है । विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा पूर्व-चिन्तन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

19. सुस्थापित विधि को दृष्टिगत करते हुए, जैसाकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्तमान मामले के तथ्य अभिकथित किए गए हैं और न्यायालय में साबित किए गए हैं, उनसे ऐसा कोई संदेह नहीं होता है कि जिन व्यक्तियों ने इन्दर सिंह (मृतक सं. 1) का पीछा किया था और उसकी मृत्यु कारित की थी और उसके पश्चात् तीन अन्य व्यक्तियों का पीछा किया, उनका घेराव किया तथा उनकी मृत्यु कारित की, साथ ही इत्तिलाकर्ता अमर सिंह को गंभीर क्षतियां कारित कीं, पांच या अन्य व्यक्तियों का ऐसा जमाव था जिसे विधिविरुद्ध जमाव कहा जाना चाहिए क्योंकि इस जमाव के कार्य से यह दर्शित होता है कि जमाव का सामान्य उद्देश्य अपराध कारित करना था । पश्चात्वर्ती कृत्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य 4 व्यक्तियों की हत्या का गंभीर अपराध कारित करना और इत्तिलाकर्ता को गंभीर क्षतियां पहुंचाना था ।

20. अतः इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि निचले न्यायालयों ने दंड संहिता की धारा 149 लागू करने और विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों को धारा 302 और धारा 307 (सपठित दंड संहिता की धारा 149) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करने में कोई त्रुटि नहीं की है । कुछ दलील इस संबंध में दी गई है कि अपीलार्थियों का कोई भी स्पष्ट हेतु नहीं था किन्तु ऐसी स्थिति में हेतु का स्पष्ट होना बिल्कुल भी आवश्यक या तात्विक नहीं है जब अपराध प्रत्यक्षदर्शियों साक्षियों सहित स्पष्ट और तर्कसम्मत साक्ष्य द्वारा साबित किया गया हो ।

21. जहां तक **मसलती** (उपरोक्त) वाले मामले में प्रतिपादित सतर्कता के सिद्धांत का संबंध है, विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री बसंत द्वारा दी गई इस

---

[1] (2011) 9 एस. सी. सी. 257.

दलील से हमारा समाधान हो गया है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, निचले न्यायालयों को यह विनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक अभियुक्त के घटनास्थल पर मौजूद होने और अपराध में उसकी भूमिका को साबित करने के लिए साक्ष्य की कितनी संपुष्टि अपेक्षित है । यद्यपि इत्तिलाकर्ता ने नौ व्यक्तियों के मौजूद होने का दावा किया है किन्तु तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा पांच अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया और एक अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया । इस मुद्दे के संबंध में उन साक्षियों की संख्या दर्शाने वाली तालिका का परिशीलन करने पर जिन्होंने अलग-अलग अपीलार्थियों के विरुद्ध उनकी मौजूदगी, अपराध में भाग लेने, हथियार का प्रयोग करने और प्रत्यक्ष कृत्य करने, यदि कोई है, के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया है, हमारा यह निष्कर्ष है कि **मसलती** (उपरोक्त) वाले मामले में जिस कसौटी का अनुमोदन किया गया है और तत्पश्चात् **बूसी कोटेश्वर राव** (उपरोक्त) वाले मामले सहित अन्य कई मामलों में अनुसरण किया गया है, इस मामले में भी उसका अनुसरण किया जाना चाहिए । **बूसी कोटेश्वर राव** (उपरोक्त) वाले मामले के पैरा 13 में इस विषय के संबंध में विधि निम्न रूप में स्पष्ट की गई है :–

> "13. यह स्पष्ट है कि जब दांडिक न्यायालय को ऐसे मामलों में विचार करना होता है जिनमें अनेक अपराधियों द्वारा अपराध कारित किया जाता है और अनेक व्यक्ति आहत होते हैं, तब सामान्य कसौटी यह है कि दोषसिद्धि केवल तब कायम रह सकती है कि जब ऐसे दो या अन्य साक्षियों द्वारा इसका समर्थन होता हो जिन्होंने प्रश्नगत घटना का संगत वर्णन किया हो ।"

22. चूंकि इस मामले में अभियुक्त व्यक्ति और छह तात्विक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सह-ग्रामवासी हैं, इसलिए यह प्रत्याशा की जाती है कि कम से कम तीन साक्षी अलग-अलग अभियुक्तों के नाम बताएं ताकि उनकी दोषसिद्धि कायम रखी जा सके । इस कसौटी का प्रयोग करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान सिंह (अभियुक्त सं. 9) ; पुत्र प्रभु लाल सुरेश कुमार पुत्र राम धाकड़ (अभियुक्त सं. 18) ; किन्हीं राम (अभियुक्त सं. 20) प्रहलाद सिंह पुत्र नाथू लाल (अभियुक्त सं. 27) ; और राम प्रसाद पुत्र भेरू लाल (अभियुक्त सं. 28) संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किए जाने चाहिएं । इस संदेह का लाभ अभियुक्तों के पक्ष में जाता है क्योंकि भले ही इत्तिलाकर्ता

(अभि. सा. 15) द्वारा विशेष रूप से नामित किया गया है कि ये वही व्यक्ति हैं जो विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और इन्होंने ही हमला किया था किन्तु इत्तिलाकर्ता के इस दावे का समर्थन एक से अधिक साक्षियों द्वारा नहीं किया गया है । दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त अभियुक्तों के विरुद्ध तीन साक्षियों का साक्ष्य स्पष्ट और तर्कसंगत नहीं है । जहां तक राम प्रसाद (अभियुक्त सं. 28) का संबंध है, निस्संदेह अभि. सा. 12 और अभि. सा. 24 द्वारा उसे नामित किया गया है किन्तु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह राम प्रसाद पुत्र भेरू लाल था या इसी नाम का अन्य कोई व्यक्ति था अर्थात् राम प्रसाद पुत्र जेठ राम (अभियुक्त सं. 25) ।

23. उपर्युक्त पांच अपीलार्थियों अर्थात् भगवान सिंह पुत्र प्रभु लाल (2009 की दांडिक अपील सं. 1239 में का अपीलार्थी सं. 3) ; सुरेश कुमार पुत्र राम धाकड़ (2009 की दांडिक अपील सं. 493 में का अपीलार्थी सं. 3) ; किन्हीं राम पुत्र प्रभु लाल (2009 की दांडिक अपील सं. 1239 में का अपीलार्थी सं. 4) ; प्रहलाद सिंह पुत्र नाथू लाल (2009 की दांडिक अपील सं. 1241 में का एकमात्र अपीलार्थी) ; और राम प्रसाद पुत्र भेरू लाल (2009 की दांडिक अपील सं. 493 में का अपीलार्थी सं. 4) द्वारा फाइल की गई अपीलें मंजूर की जाती हैं । इन अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया जाता है और सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । शेष 16 अपीलार्थियों की अपीलें खारिज की जाती हैं । यदि अपीलार्थी जमानत पर हैं, तब उनके बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और उन्हें विधि के अनुसरण में शेष दंडादेश भोगने के लिए तत्काल अभिरक्षा में लिया जाए ।

अपीलों का निपटारा किया गया ।

अस.

———————